कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

//संशोधित//

क्रमांक/222/भू.अ./2022 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 07.07.2022

//अनापत्ति प्रमाण–पत्र//

कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब, निर्माण संभाग छ.ग.रा.वि.पारे. कं. मर्या. कोरबा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/कार्य.अभि./अ.उ.दा./निर्माण संभाग/कार्य/1174 कोरबा दिनांक 10/12/2021 के माध्यम से छ.स्टे.पा.ट्रां.कं.लिमि. (छत्तीसगढ़ शासन के अधीन) की विद्यमान अति उच्चदाब 220 के.व्ही. छुरी–कोटमीकला लाईन के लोके. 278 से 281 तक व्यपवर्तन से प्रभावित कारीडोर हेतु वन क्षेत्र का आनलाईन पंजीयन किये जाने हेतु जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के तहसील पेण्ड्रा में स्थित ग्राम केसला के कुल प्रभावित **संरक्षित वन भूमि रकबा 0.175 हे.** को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया हैं :–

:: अनुसूची–1 ::

क्र.	ग्राम	तहसील	ख.नं./ फारेस्ट कम्पार्टमेन्ट नम्बर	कालम नं. 4 के अनुसार कुल रकबा (हे0)	कालम नं. 05 में से FRA हेतु दिया गया भूमि का कुल रकबा (हे0)	कालम नं. 05 में से लाईन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे0)	कालम नं. 05 में अंकित रकबा में से मांग की गई भूमि का रकबा (हे0)	भूमि का किस्म	FRA के तहत जारी वन अधिकार पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	केसला	पेण्ड्रा	2357	297.7650	0.405	2.128	0.175	संरक्षित वनभूमि	01 व्यक्ति, सुंदर सिंह पिता अगरसाय

उपरोक्त भूमि की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पेण्ड्रारोड एवं तहसीलदार पेण्ड्रा से कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पेण्ड्रारोड एवं तहसीलदार पेण्ड्रा द्वारा प्रतिवेदन किया गया हैं कि उपरोक्त लाईन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कारिडोर भूमि अंतर्गत कोई भी **राजस्व भूमि अथवा राजस्व वनभूमि प्रभावित नही है** एवं प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने से कोई आपत्ति नही हैं।

अतः अनुसूची–1 में अंकित कालम नंबर 4 के कम्पार्टमेन्ट नंबर में से कालम नंबर 5 में अंकित रकबा में से कालम नंबर 6 के तहत प्रदत्त रकबा 0.405 हेक्ट. में से कालम नं. 8 अंकित रकबा 0.175 हे. भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने हेतु व्यपवर्तन की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दिया जाता हैं, तो राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नही हैं।

कलेक्टर
जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/223/भू.अ./2022 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 07.07.2022

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर को सूचनार्थ
2. वनमण्डलाधिकारी जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, (अउदाःसंधारण) निर्माण संभाग, छ.ग.रा.वि.पा.कं.मर्या. कोरबा

कलेक्टर
जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)